न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नजरसानी प्रकरण सं0 01/17

1. जसमेल कौर पत्नि स्व0 वीरसिंह उर्फ बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी लालगढजाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी तलवण्डी साबो जिला बठिण्डा (पंजाब)

प्रार्थिया

बनाम

1. बोहडसिंह, जसवन्त सिंह, बूटा सिंह पि0 वीरसिंह जाति जटसिख निवासीयान लालगढजाटान तहसील सादूलशहर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, सादूलशहर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र नजरसानी अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी विरूद्व आदेश श्रीमान न्यायलय दिनांक 14.02.2017

उपस्थित : 1. श्री मोहनलाल माहर, अधिवक्ता, प्रार्थीया
2. श्री कुलवन्त सिंह संधू अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

आदेश दिनांक :—16.10.2017

प्रस्तुत नजरसानी के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रीमान न्यायालय ने निर्णय दिनांक 14.02.2017 को पारित करते हुए तथ्यों पर विचार किये बिना अपील को खारिज करने का आदेश दिया जिस पर यह पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र निम्न तथ्यों पर पेश किया। इन्तकाल सख्या 371 को दस्तावेज के अभाव में तस्दीक ना कर खारिज किया गया उस आदेश के खिलाफ उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर में अपील सख्या 99/2011 जो रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ता 3 ने पेश की को तहसीलदार सादुलशहर को रिमाण्ड करने का आदेश दिया गया। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सादुलशहर को रिमाण्ड आदेश में दिये गये निर्देशो को ध्यान में रखते हुए उन पर सुनवाई कर तथा उन बिन्दुओं पर रिमाण्ड शुदा प्रकरण का निर्णय करना चाहिए था, मगर तहसीलदार ने दिनांक 16.01.2013 को जो आदेश पारित किया गया वह एक फ्रेश प्रकरण "**प्रशासन गांवो के संग**" अभियान में बनाकर निर्णय पारित किया गया। उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 31.10.2012 पर किसी प्रकार से कोई विचार कर रिमाण्ड निर्देशों की पालना नही की गई। तथा श्रीमान न्यायालय के निर्णय में भी इस पर कोई विवेचन नही किया गया कि तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के आदेश दिनांक 31.10.2012 के सम्बन्ध में कब किस तारीख को क्या निर्णय पारित किया गया एवं मियाद के बिन्दु का प्रश्न है तो इस पर भी सही तौर से विवेचन नही किया गया तथा माननीय न्यायालय के समक्ष बहस के समय जो तथ्य बतलाये गये उन पर सही विवेचन नही हो पाया जबकि मियाद के बिन्दु पर विभिन्न उच्च न्यायालयों का नरमी का रूख अपनाने के आदेश पारित किये गये है। जिससे कि अपीलांट को न्याय मिल सकें। अतः

सही विवेचन नही हो पाया जबकि नियाद के बिन्दु पर ... उचित रूख अपनाने के आदेश पारित किये गये है। जिससे कि अपीलांट को न्याय मिल सकें। अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 16.01.2013 स्पष्ट तौर से निरस्त करना आवश्यक था। अतः इन तथ्यों पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। अतः रिव्यू प्रार्थना स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 14.02.2017 पर पुनर्विचासर कर अपील स्वीकार करने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी 01 ता 03 ने रिव्यू प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रारम्भिक तथा कानूनी ऐतराजात एवं जबाब नजरसानी दिनांक 31.07.2017 प्रस्तुत कर कथन किया कि माननीय न्यायालय को अपने ही निर्णय दिनांक 14.02.2017 जो अपील संख्या 44/2016 अनवानी जसमेल कौर बनाम बोहड सिंह आदि जो कि इंतककाल के विरूद्व पेश की गई है

में पारित आदेश के सम्बन्ध में नजरसानी प्रार्थना पत्र सुनने का काननून अधिकार नही है क्योंकि आदेश 47 नियम 1 सीपीसी में यह स्पष्ट अंकित है किया गया है:-

1. किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात है किन्तु जिसकी कोई अपील नहीं की गई ।
2. किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात नही है के खिलाफ ही नजरसानी पेश की जा सकती है।

प्रस्तुत मामला में श्रीमान न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जिसकी अपील अनुज्ञात है किन्तु जिसकी कोई अपील नही की गई बल्कि श्रीमान न्यायालय ने तो पहले ही तहसीलदार के इंतकाल आदेश के खिलाफ अपील में ही निर्णय दिनांक 14.02.2017 पारित किया। इस प्रकार यह आदेश ऐसा कोई फ्रेश आदेश नही था जिसकी अपील अनुज्ञात नहीं हो बल्कि यह तो अपील में ही आदेश पारित किया गया। इस प्रकार अपील में पारित किये गये आदेश के खिलाफ कानूनन नजरसानी नहीं की जा सकती तथा न ही अपील में पारित आदेश के खिलाफ श्रीमान न्यायालय को नजरसानी सुनने का अधिकार हासिल है। अतः नजरसानी उपरोक्त कारण से इसी स्टेज पर खारिज करने योग्य है क्योंकि निर्णय दिनांक 14.02.2017 किसी प्रथम न्यायालय की डिक्री या आदेश नहीं था जो कि Origenal court [Trial court] हो बल्कि यह न्यायालय तो अपीलीय न्यायालय है प्रथम अथवा Origenal court नहीं है बल्कि एक अपीलीय न्यायालय है जिसने अपना अपीलीय श्रवणधिकार का प्रयोग करते हुए विस्तृत तौर पर निर्णय दिनांक 14.02.2017 पारित किया जो कि पूर्ण रूप से स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में आता है। वर्तमान प्रकरण केवल विरासत इंतकाल दर्ज करने का था जो राजस्व अभियान में पूरी जांच के बाद तहसीलदार द्वारा तीनों लडको के नाम इंतकाल दर्ज किया गया था जो दिनांक 16.01.2013 को मजम आम में पूर्ण जांच कर दर्ज किया गया था। लिहाजा प्रारम्भिक एवं कानूनी ऐतराजात तथ जबाब नजरसानी पेश करके अर्ज है कि नजरसानी प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने क आदेश फरमाया जावें क्योंकि जानबूझकर मुकदमाबाजी को बढावा देने व अप्रार्थीयान क

आम में पूर्ण जांच कर दर्ज किया गया था। लिहाजा प्रारम्भिक एवं कानूनी ऐतराजात तथा जबाब नजरसानी पेश करके अर्ज है कि नजरसानी प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का आदेश फरमाया जावें क्योंकि जानबूझकर मुकदमाबाजी को बढावा देने व अप्रार्थीयान को खर्चा से जेरवार करने के लिए नजरसानी पेश की गई है।

प्रार्थीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में नजरसानी में वर्णित तथ्यों को आधारित करते हुए कथन किया है कि पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत् श्रीमान् न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.02.2017, जो कि उपरोक्त अनवानी अपील सख्या 44/2016 में पारित करते हुए बिना पूरे तथ्यों पर विचार किये अपील को खारिज करने का आदेश दिया गया है क्योंकि तहसीलदार सादुलशहर ने आदेश दिनांक 16.01.13 गलत पारित किया गया क्योंकि जिस वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट 1 ता 3 के हक में आदेश पारित किया गया उसी वसीयत में ही अपीलांटा के हक में भी वसीयत की गई। अतः यदि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ता 3 को जिस वसीयत दिनांक 21.06.06 के आधार पर हकदार माना गया है उसी वसीयत में अपीलांटा के हक में 1.581 हैक्टर की वसीयत की गई है। अतः इस पर भी गौर किया जाना आवश्यक था तथा किसी वसीयत को आंशिक स्वीकार कर एक व्यक्ति के पक्ष में वसीयत के आधार पर इंतकाल करना तथा दूसरे के हक में जानबूझकर ना करना यह स्पष्ट करता है कि विधि के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया गया है। अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 16.01.2013 स्पष्ट तौर से निरस्त करना आवश्यक था। अतः इन तथ्यों पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। अतः रिव्यू प्रार्थना स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 14.02.2017 पर पुनर्विचार कर अपील स्वीकार करने का आदेश फरमाया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपने तर्को के सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी ने निम्न लिखित नजीरें पेश की हैः–

1. आर.आर.टी. पेज–1202 [Civil Appeal No. 7962 of 2001]
2. आर.आर.डी. पेज–52
3. आर.बी.जे. पेज–640

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री कुलवन्त सिंह संधू ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय को अपने ही निर्णय दिनांक 14.02.2017 जो अपील संख्या 44/2016 अनवानी जसमेल कौर बनाम बोहड सिंह आदि जो कि इंतककाल के विरूद्व पेश की गई है में पारित आदेश के सम्बन्ध में नजरसानी प्रार्थना पत्र सुनने का काननून अधिकार नही है क्योंकि आदेश 47 नियम 1 सीपीसी में यह स्पष्ट अंकित है किः–

1. किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात है किन्तु जिसकी कोई अपील नहीं की गई ।
2. किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात नही है के खिलाफ ही नजरसानी पेश की जा सकती है।

अपने तर्को के सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निम्न लिखित नजीरें पेश की हैः–

1- ORDER XLVII- REVIEW Page 368
2- R.R.T. 2015[1] Page 545
3- R.R.T. 2005[1] Page 115
4- R.R.T. 2005[1] Page 630
5- R.R.D. 2014 Page 168
6- R.R.D. 1983 Page 843
7- R.R.D. 2010 Page 130
8- R.R.D. 1977 Page 344
9- R.B.J. 2007 Page 139
10 –W.L.C. 2000[2] Page 368
11 - R.B.J. 2007 Page 267
12 - R.B.J. 2007 Page 413
13 - R.B.J. 2017 Page 438

अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत तथ्यों एवं नजीरो में दिये आदेशों के तहत स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर माननीय न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय दिनांक 14.02.2017 बहाल रखा जावें ।

उपरोक्त दृष्टांतो में मुख्यतः निम्न दो प्रकार के बिन्दु है जो रिव्यू के आधार नहीं हो सकते : –

1. निर्णय में लिया गया गलत अभिमत।
2. जिन बिन्दुओं पर सुना जाकर निर्णय कर लिया गया।

इनके परिप्रेक्ष में रिव्यू के अधीन अपील का निर्णय देखे तो इन दोनो ही बिन्दुओं

2. किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात नही है के खिलाफ ही नजरसानी पेश की जा सकती है।

अपने तर्को के सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निम्न लिखित नजीरें पेश की है:-

1- ORDER XLVII- REVIEW Page 368
2- R.R.T. 2015[1] Page 545
3- R.R.T. 2005[1] Page 115
4- R.R.T. 2005[1] Page 630
5- R.R.D. 2014 Page 168
6- R.R.D. 1983 Page 843
7- R.R.D. 2010 Page 130
8- R.R.D. 1977 Page 344
9- R.B.J. 2007 Page 139
10 –W.L.C. 2000[2] Page 368
11 - R.B.J. 2007 Page 267
12 - R.B.J. 2007 Page 413
13 - R.B.J. 2017 Page 438

अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत तथ्यों एवं नजीरो में दिये आदेशों के तहत स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर माननीय न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय दिनांक 14.02.2017 बहाल रखा जावें ।

उपरोक्त दृष्टांतो में मुख्यतः निम्न दो प्रकार के बिन्दु है जो रिव्यू के आधार नहीं हो सकते : –

1. निर्णय में लिया गया गलत अभिमत।
2. जिन बिन्दुओं पर सुना जाकर निर्णय कर लिया गया।

इनके परिप्रेक्ष में रिव्यू के अधीन अपील का निर्णय देखे तो इन दोनो ही बिन्दुओं पर निर्णय आधारित नही है। अपील केवल तकनीकी तौर पर मियाद के बिन्दु पर खारिज की गई है, इसलिए भी रिव्यू के लिए आधार बनता है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

माननीय न्यायालयों के प्रतिपादित सिद्वांतों को यह न्यायालय पूर्ण सम्मान के साथ मानता है कि रिव्यू का दायरा परिमित है परन्तु जो विधिक उतराधिकार से संबंधित सुस्थापित सिद्वांतों /आधारो को, जो स्पष्टतः न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध थे और जिनको अनदेखा करके विधि के विपरीत जाकर कोई निर्णय किया गया और जिसकी अपील इस न्यायालय में बिना विधिक भूल को सुधारे केवल मियाद के बिन्दु पर खारिज कर देना, रिकॉर्ड पर परिलक्षित होने वाली त्रुटि है जिसे न्याय की दृष्टि में सुधारा जानां आवश्यक है अन्यथा प्रार्थिया बेवा अपने मृतक पति की प्रथम श्रेणी की विधिक उत्तराधिकारी होते हुए भी

अपने हको से महरूम हो जावेगी। अपील में जो आधार और कानूनी हकों के लिए प्रार्थना की है उन तथ्यों और विधिक प्रावधानों पर कोई गौर नहीं हुआ । लिहाजा यह कानूनी और तथ्यात्मक त्रुटि अभिलेख पर सहज दृष्टिगोचर है।

इसके अलावा अप्रार्थी–अधिवक्ता की ओर से इस प्रार्थना पत्र पर उठाई गई प्रारम्भिक आपत्तियों बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर उस पर दिनांक 18.09.2017 को निर्णय कर लिया गया वह भी पत्रावली पर अवलोकनीय है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत सभी अन्य प्रार्थना पत्रो पर भी उनकी मंशानुसार अवसर प्रदान किया जाता रहा है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण को मुंतकिल (स्थानान्तरित) करने के लिए अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गए आवेदन पर भी वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी मौन रहे।

प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र के अधीन अपील के निर्णय और इससे सम्बद्व प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन मात्र से निम्नलिखित तात्विक एवं तथ्यात्मक त्रुटियां स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो जाती है–

1. मृतक वीरसिंह (प्रार्थिया के पति एवं रेस्पोडेन्ट 1 से 3 के पिता) की मृत्योपरांत खोले गए विरासतन इंतकाल सख्या 371 को ग्राम पंचायत द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्त की पालना एवं सुनवाई के अवसर बगैर, कोई विस्तृत आदेश किये बगैर, किसी तरह के कोई अभिलेख पर मनन किये , मात्र यह दर्शाते हुए कि ''दस्तावेज के अभाव में खारिज किया जाता है'' जो विधि की दृष्टि में भारी भूल है।
2. इस नामान्तरण सख्या 371 के विरूद्व न्यायालय एसडीओ सादुलशहर में प्रस्तुत अपील पर भी गुणावगुण के आधार पर कोई निर्णय नही करते हुए केवल –''प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को रिमाण्ड किया जाता है कि संबंधित पक्षकारान को सुनकर नियमानुसार आदेश पारित करें'' का आदेश दिया जो किसी भी सूरत में अन्तिम रूप से निर्णीत नहीं कहा जा सकता।
3. न्यायालय एसडीओ सादुलशहर द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड करते हुए जो निर्देश दिये उनकी पालना अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर द्वारा कतई नहीं की। तहसीलदार सादुलशहर का आदेश दिनांक 16.01.2013 '' प्रशासन गांवो के संग अभियान'' में बिना हस्ताक्षरित आवेदन पत्र पर बिना सुनवाई बिना कोई विवेक का इस्तेमाल किये, बिना विवेचन रिमाण्ड निर्देशों की अवज्ञा करते हुए मनमाफिक और बिना कोई स्पीकिंग आदेश स्वेच्छारी रूप से नामांतकरण को स्वीकृत किया गया जो विधि की दृष्टि में भारी भूल का परिचायक है। इस सम्बन्ध में उक्त नामातकरण पारित करते समय की गई कोई जांच भी अभिलेख पर नहीं है।
4. प्रकरण में तात्विक और तथ्यपरक त्रुटि ही नहीं बल्कि न्याय के नैसर्गिक सिद्वांतो की अवहेलना, नामांतरकरण तस्दीक करने के लिए उत्तराधिकार और वसीयत के मूलभूत सुस्थापित नियमों/सिद्वांतो को भी दरकिनार करने और स्वेच्छाचारी आदेश करने की भारी भूल हुई है।
5. न्यायालय हाजा के प्रस्तुत नजरसानी के अधीन आदेश में भी उपरोक्त तत्वों और तथ्यों पर दृष्टिपात और गौर किये बिना केवल तकनीकी रूप से मियाद के बिन्दु पर

अधिवक्ता अप्रार्थी नौन रहे।

प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र के अधीन अपील के निर्णय और इससे सम्बद्ध प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन मात्र से निम्नलिखित तात्विक एवं तथ्यात्मक त्रुटियां स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो जाती है–

1. मृतक वीरसिंह (प्रार्थिया के पति एवं रेस्पोडेन्ट 1 से 3 के पिता) की मृत्योपरांत खोले गए विरासतन इंतकाल सख्या 371 को ग्राम पंचायत द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त की पालना एवं सुनवाई के अवसर बगैर, कोई विस्तृत आदेश किये बगैर, किसी तरह के कोई अभिलेख पर मनन किये , मात्र यह दर्शाते हुए कि "दस्तावेज के अभाव में खारिज किया जाता है" जो विधि की दृष्टि में भारी भूल है।
2. इस नामान्तरण सख्या 371 के विरूद्व न्यायालय एसडीओ सादुलशहर में प्रस्तुत अपील पर भी गुणावगुण के आधार पर कोई निर्णय नही करते हुए केवल –"प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को रिमाण्ड किया जाता है कि संबंधित पक्षकारान को सुनकर नियमानुसार आदेश पारित करें" का आदेश दिया जो किसी भी सूरत में अन्तिम रूप से निर्णीत नहीं कहा जा सकता।
3. न्यायालय एसडीओ सादुलशहर द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड करते हुए जो निर्देश दिये उनकी पालना अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर द्वारा कतई नहीं की। तहसीलदार सादुलशहर का आदेश दिनांक 16.01.2013 " प्रशासन गांवो के संग अभियान" में बिना हस्ताक्षरित आवेदन पत्र पर बिना सुनवाई बिना कोई विवेक का इस्तेमाल किये, बिना विवेचन रिमाण्ड निर्देशों की अवज्ञा करते हुए मनमाफिक और बिना कोई स्पीकिंग आदेश स्वेच्छारी रूप से नामांतकरण को स्वीकृत किया गया जो विधि की दृष्टि में भारी भूल का परिचायक है। इस सम्बन्ध में उक्त नामातकरण पारित करते समय की गई कोई जांच भी अभिलेख पर नहीं है।
4. प्रकरण में तात्विक और तथ्यपरक त्रुटि ही नहीं बल्कि न्याय के नैसर्गिक सिद्वांतो की अवहेलना, नामांतरकरण तस्दीक करने के लिए उत्तराधिकार और वसीयत के मूलभूत सुस्थापित नियमों/सिद्वांतो को भी दरकिनार करने और स्वेच्छाचारी आदेश करने की भारी भूल हुई है।
5. न्यायालय हाजा के प्रस्तुत नजरसानी के अधीन आदेश में भी उपरोक्त तत्वों और तथ्यों पर दृष्टिपात और गौर किये बिना केवल तकनीकी रूप से मियाद के बिन्दु पर प्रकरण को खारिज कर दिया गया, जबकि इसी न्यायालय ने मियाद के प्रार्थना पत्र पर निर्णय दिनांक 11.11.2016 में यह स्पष्ट मत दिया था कि –"माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मा0 राजस्व मण्डल द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र पर उदार दृष्टिकोण अपनाए जाने का मत दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अपील में अंतिम निर्णय के समय ही गुणदोष के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।"

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। रिव्यू प्रार्थना पत्र के अधीन अपील का निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2017 को अपील अन्दर मियाद न होने के आधार पर ही खारिज कर दी गई थी। एक रजिस्टर्ड वसीयत जो कि प्रार्थीया के पति वीरसिंह उर्फ बलवीर सिंह ने प्रार्थीया व अपने पुत्रो के पक्ष में की थी, के आधार पर इन्तकाल जो, अप्रार्थीगण बोहड सिंह–जसवन्त सिंह–बूटा सिंह के नाम दर्ज कर दिया गया किन्तु प्रार्थीया जसमेल कौर का नाम इन्तकाल में दर्ज ही नहीं किया। **यह अपने आप में एक कपटपूर्ण कार्यवाही है जो विधि की दृष्टि में कतई ग्राहय नहीं है।** चूंकि रिकार्ड पर उक्त वसीयत उपलब्ध है जिससे स्वतः स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया का नाम उक्त वसीयत में दर्ज है। इसलिए प्रथमदृष्टया प्रार्थिया का भी मृतक की पत्नी होने के कारण उसमें अन्य उत्तराधिकारीयों के साथ हक तय है।

उपरोक्त आधारो और विवेचन के आधार पर प्रस्तुत रिव्यू आवेदन न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। रिव्यू आवेदन के अधीन अपील का गहनता से अवलोकन किया उस पर मनन किया। इसमें इंतकाल संख्या 520 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। इन्तकाल सख्या 520 विधि के सुस्थापित सिद्वांतो /नियमों की उपेक्षा करके स्वेच्छा से आंख मूंदकर पारित किया जाना पाया गया है जिसमें प्रार्थिया (अपीलार्थिया) को उसके दोनो ही **–उत्ताधिकार और उसके पक्ष में वसीयती हकों से वंचित रखा गया है।** लिहाजा रिव्यू आवेदन के अन्तर्गत की अपील भी स्वीकार की जाकर ऐसे विधि विरूद्व नामांतरकरण को खारिज किया जाता है। तहसीलदार सादुलशहर को निर्देश दिये जाते है कि वह वसीयती मृतक वीरसिंह द्वारा उसकी खातेदारी भूमि के संबंध में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 21.06.2006 में निहित चक 8 एलएलजी के मुरब्बा नम्बर 41 व 42 की उसके हिस्से की 7.904 हैक्टर भूमि में से 1.581 हैक्टर भूमि अपीलार्थिया जसमेल कौर बेवा वीर सिंह के हिस्से में अंकित करते हुए शेष 6.323 हैक्टर भूमि उसके पुत्रो (रेस्पोडेन्ट सख्या 1 से 3) बोहड सिंह, जसवंत सिंह, बुटा सिंह पि0 वीरसिंह के साथ सह खातेदार रूप में अंकन करने हेतु नये सिरे से नामांतरकरण खोले एवं बाद कार्यवाही पारित कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करके पालना पठावे। उपरोक्त भूमि यदि रहन है तो वह उपरोक्त अंकन के अनुसार ही रहन रहेगी और केवल रहनकर्ता ही ऋण अदायगी के लिए दायी रहेंगे। तहसीलदार सादुलशहर को आदेश की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें ।

आदेश आज दिनांक 16.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/10/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।